



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28122023-250941
CG-DL-E-28122023-250941

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5243]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 28, 2023/पौष 7, 1945

No. 5243]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 28, 2023/PAUSHA 7, 1945

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

(दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर, 2023

का.आ. 5476(अ).—ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु दिव्यांगता ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याणार्थ राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 (1999 का 44) की धारा 3 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग -II, खंड -3, उप-धारा (ii), में प्रकाशित, केन्द्र सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग) के दिनांक 17 नवम्बर, 2022 की अधिसूचना संख्या का.आ. 5380 (अ) को निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

2. उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्या 10 और उससे संबंधित प्रवृष्टियों के लिए, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“10. श्री एवेलिनो निकोलू डे

- सदस्य

ला कासिटा, मकान सं. 482

(दिव्यांगजन संघ – प्रमस्तिष्क घात से प्रतिनिधि)”

अपोजिट वृंदावन मेडिकल सेंटर मीरामार

पणजी, गोवा 403001.

3. ऊपर विनिर्दिष्ट सदस्य इस राजपत्र की अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 16 नवंबर, 2025 तक (जिस तारीख को बोर्ड के अन्य सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है या पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने पर, जो भी पहले हो) राष्ट्रीय न्यास के बोर्ड का पद धारण करेंगे।

[फा.सं. 26-06/2018-डीडी-III]

राजीव शर्मा, संयुक्त सचिव

नोट : भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) में दिनांक 17 नवंबर, 2022 की संख्या का.आ. 5380 (अ) के माध्यम से मूल अधिसूचना प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

(Department of Empowerment of Persons with Disabilities)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th December, 2023

S.O. 5476(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 3 of the National Trust for the Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Act, 1999 (44 of 1999), the Central Government hereby makes the following amendments to the notification of Government of India in the Ministry of Social Justice and Empowerment (Department of Empowerment of Persons with Disabilities) number S.O. 5380(E) dated the 17th November, 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, section-3, sub-section (ii), namely:-

2. In the said notification, for serial number 10 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

“10. Mr. Avelino Nicolau de	- Member
La Casita, H. No. 482	(Representative from Association
Opposite Vrindavan Medical Centre Miramar	of Persons with Disabilities – Cerebral
Panjim, Goa 403001.	Palsy).”.

3. The member specified above shall hold office of the Board of the National Trust from the date of publication of this Gazette Notification till 16th November, 2025 (the date from which the term of other members of Board expires or till he attains the age of sixty five years, whichever is earlier.

[F.No. 26-06/2018-DD-III]

RAJEEV SHARMA, Jt. Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, part-II, section-3, sub-section (ii) vide number S.O. 5380(E) dated 17th November, 2022.